

उत्तर प्रदेश शासन,  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या- 169 /चि0-3-2018-टी0-1(103)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के डा0 आलोक रंजन (वरि0क्र0-13319,ले0-2) नेत्र रोग विशेषज्ञनया प्रा0स्वा0केन्द्र, कटरा, दीवानखेड़ा, जनपद- उन्नाव का स्थानान्तरण/समायोजन उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय, उन्नाव में रिक्त नेत्र रोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा किया जाता है।


2. डा0 रंजन को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल अपने नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाण-पत्र तत्काल शासन को उपलब्ध करायें।

नर्वेद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या- 169 (1)/चि0-3-18-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उन्नाव/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उमाशंकर दीक्षित जिला चिकित्सालय, उन्नाव।
5. कोषाधिकारी, उन्नाव।
6. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-मुख्यचिकित्साधिकारी उन्नाव)।
7. चिकित्सा अनुभाग-2/8
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

उत्तर प्रदेश शासन  
चिकित्सा अनुभाग-3  
संख्या-26/2018/3713/चि0-3-17-टी0-1(54)/2017  
लखनऊ : दिनांक : 30 जनवरी, 2018

कार्यालय जाप

तात्कालिक प्रभाव से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग की डा0 गीता अग्रवाल, स्त्रीरोग विशेषज्ञ (वरि0क्र0-9248, लेवल-4), सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ को जनहित में समायोजित/स्थानान्तरित करते हुये मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ के अधीन स्त्रीरोग विशेषज्ञ के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।

2- डा0 गीता अग्रवाल को निर्देशित किया जाता है कि वह अपनी नवीन तैनाती स्थल पर तत्काल कार्यभार ग्रहण करें।

नरवद सिंह  
विशेष सचिव

संख्या-26/2018/3713(1)/चि0-3-17.तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिदेशक/निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2. अपर निदेशक (कार्मिक/गोपन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
5. मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
7. सम्बन्धित चिकित्साधिकारी (द्वारा-अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- ✓8. प्रभारी कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के साथ-साथ सम्बन्धित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
9. चिकित्सा अनुभाग-2/8/गार्ड फाईल।

आज्ञा से  
  
(जे0 एल0 यादव)  
अनु सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साईट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।